

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

**Notification**

The 21st June, 2010

**No. CCP(NCR/PWL-SEHRALA/CA/2010/2382**—Whereas, in the opinion of the State Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely :—

**Schedule**

Schedule of boundaries of the controlled area around Primary School, villages Sehrala, District Palwal to be read with the Drawing No. DTP(PAL) 01/2010, dated the 10th January, 2010.

- North** : Starting from point 'A' i.e. north-west corner of rectangle number 5 of village Sehrala (Hadbast number 5) thence towards east along the southern district boundary of district Gurgaon upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 2 of village Sehrala (Hadbast number 5).
- East** : Thence moving from point 'B' towards south along the south-west district boundary of district Faridabad where it meets already declared controlled area boundary of village Chhaprola published in Haryana Government Gazette on dated 28th January, 1991 vide Notification No. JD-91-762 dated 22nd January, 1991 upto point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 28 of village Sehrala (Hadbast number 5).
- South** : Thence moving from point 'C' towards west along the already declared controlled area boundary of village Chhaprola published in Haryana Government Gazette on dated 28th January, 1991 vide Notification No. JD-91-762 dated 22nd January, 1991 upto point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 49 of village Sehrala (Hadbast number 5).
- West** : Thence moving from point 'D' towards north and south along the already declared controlled area boundary of village Sehrala published in Haryana Government Gazette on dated 28th January, 1991 vide Notification No. JD-91/754, dated 22nd January, 1991 upto point 'A' i.e. point of start.

D. S. DHESI,

Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government Haryana, Town and Country Planning Department.



## हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 21 जून, 2010

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/पी०डब्ल्यू०एल०-सहराला/ए०सी०ए०/2010/2382.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई

अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गए क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिए संभाव्य है।

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

## अनुसूची

गांव सहराला, जिला पलवल के प्राथमिक विद्यालय के इर्द-गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी०(पी०ए०एल०)

01/2010, दिनांक 10 जनवरी, 2010 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जो कि गांव सहराला (हदबस्त संख्या 5) की आयत संख्या 5 का उत्तर-पश्चिम कोना है। तत्पश्चात् पूर्व की ओर जिला गुड़गांव की दक्षिणी जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव सहराला (हदबस्त संख्या 5) की आयत संख्या 2 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर जिला फरीदाबाद की दक्षिण-पश्चिम जिला सीमा के साथ-साथ जो हरियाणा राजपत्र दिनांक 28 जनवरी, 1991 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे०डी०-91-762, दिनांक 22 जनवरी, 1991 को पहले से घोषित नियन्त्रित क्षेत्र, गांव छपरोला की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' पर मिलती है, जो कि गांव सहराला (हदबस्त संख्या 5) की आयत संख्या 28 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण : तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे०डी०-91-762, दिनांक 22 जनवरी, 1991 को पहले से घोषित नियन्त्रित क्षेत्र, गांव छपरोला की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक, जो कि गांव सहराला (हदबस्त संख्या 5) की आयत संख्या 49 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम : तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे०डी०-91-754, दिनांक 22 जनवरी, 1991 को पहले से घोषित नियन्त्रित क्षेत्र, गांव सहराला की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी० एस० डेसी,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।